

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय
कर्मयोगी भवन, सैक्टर-10 ए, चतुर्थ तल, ब्लॉक-2,
गांधीनगर, गुजरात-382 010



Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of Mines
Karmyogi Bhawan, 4th Floor, Block-2, Sector 10-A,
Gandhinagar (Gujarat)-382010

ईमेल: gandhinagar.ibm@gmail.com Mine Code-07GUJ07027 Date- 14/02/2018

मिसिल संख्या : GUJ/JAM/Bxt-79

प्रेषित : Shri Harjivandas Purshotamdas Thanki,
East Kadia Plot, Porbandar, Gujarat State

विषय:- गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारका जिले, कल्यांपुर-तालुका, के मेवासा में स्थित आपकी बाक्ससाइट खदान, सर्वे नंबर -437/P, क्षेत्रफल 12.1405 हेक्टर में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियमों का उल्लंघन होने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त खदान का निरीक्षण अधोहस्ताक्षर द्वारा दिनांक 10/1/2018 को खान मालिक के प्रतिनिधि श्री परेश थानन्की एवं के. एस. नागोरी की उपस्थिति में किया गया था तथा की संरक्षण एवं खनिज विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबन्धों का उल्लंघन पाया गया।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यूरो
Rule 11(1)	The mining operations are not carried out as per approved Scheme of mining vide letter No 682/ (23)/MS-584/10 dated 01/1/2016 for the period of 2016-17 to 2017-18 to the extent indicated below. Excavation- It was proposed to work the mining operation in pit no.1 as earmarked in plate No 6 for the year 2016-17 & 2017-18 in top & bottom RL but actual mine workings i.e. production & development is not achieved as proposed & further mine workings were carried out within 7.5m of statutory barrier or appears to be outside of lease area in SW/south side where no proposal was there.
Rule 45(5)(a) & 45(5)(b)	The holder of a mining lease shall submit <u>online returns</u> in respect of each mine to the Regional Controller or any other authorised official of the Indian Bureau of Mines in the following manner. (b) a monthly return which shall be submitted before the 10th day of every month in respect of the preceding month in electronic form along with a signed print copy of the same if it is not digitally signed, in the prescribed form. © an annual return which shall be submitted before the 1st day of July each year for the preceding financial year in electronic form along with a signed print copy of the same if it is not digitally signed, in the prescribed form. <i>In your case, you have not submitted the online returns from 2011-12 onwards to till date to this office till. Therefore, you are directed to submit aforesaid return in online system immediately through www.ibm.gov.in/index.php/auth/login.</i>
Rule 33	The owner, agent, mining engineer or manager of mine shall submit the digital copy along with a print copy of the Surface Geological plan & section on or before the 30th June of every year. In your case, you have not submitted the aforesaid updated plan & section maintained under rule 32 of MCDR, 2017 to this office till date.
Rule 55(1) (3)	A full time Mining Engineer and Geologist have not been employed for the purpose of carrying out mining operations in accordance with these rules.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है तथा इस नियम के उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11 (2) के अंतर्गत खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है और / या आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है। और / या राज्य सरकार से खदान की सारी संक्रियाएं बंद करने और / या आपके विरुद्ध अभियोग दायर करने की सिफारिश की जा सकती है।
03. अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप इस पत्र के जारी होने की तिथि से **45 दिन** के भीतर उपरोक्त नियम के उल्लंघन की अनुपालना इस कार्यालय में दर्ज करावें।

भवदीय

(जी. राम)

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक,
भारतीय खान ब्यूरो, गांधीनगर

पहले 1 प्रति पर नहीं है।

01. खान नियंत्रक(उ.आ.), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
02. आयुक्त, भूविज्ञान एवं खनन, निदेशालय, गुजरात सरकार को नियम 11(1) उलंघन एवं खदान के बाहर कार्य करने की जांच कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
03. उप महानिदेशक (सांखिकी), खान एवं खनिज प्रभाग, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर, यह पत्र क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, गांधीनगर के अनुमोदन के बाद ही जारी किया जा रहा है।
04. रक्षित पत्रावली।

(जी. राम)

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक,
भारतीय खान ब्यूरो, गांधीनगर